# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

रविन्द्रनाथ महतो वगैरह ............ बनाम ............ अशोक तेली वगैरह

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| | अभिलेख सं0–एम......09..../2018 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी सोनाहातू (राहे ओ०पी०) के अप्राथमिकी सं0–03/18 दिनांक–2.2.18. प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता सं0 55 प्लॉट सं0 291 जमा रकबा 19डी० मध्ये 5½ डी० जमीन एवं घर को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। <br><br> जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। <br><br> अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। <br><br> अभिलेख तिथि 23-02-18.... को उपस्थापित करें। <br> लेखापित एवं संशोधित <br><br> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।     (ह०) 10/02/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। | |
| 23-02-18 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रमांक 01, 02 उपस्थित क्रमांक 03 अनुपस्थित द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 12-03-18 को रखें। <br><br> (ह०) 23/2/18 | |

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| 28-09-18 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अर्थात वाद काल बाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित<br><br>28/09/18<br>कार्यपालक दण्डाधिकारी<br>बुण्डु (रांची)<br><br>28/09/18<br>कार्यपालक दण्डाधिकारी<br>बुण्डु (रांची) | |

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:05:43 +05:30
Location: 192.168.43.107